सं0-34/2016/1092/62-2-2016-2/3(08)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 अप्रैल,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-373/ल0सिं0/बजट-आयोजने0/ 2015-16, दिनांक 01-04-2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में प्राविधानित धनराशि रू0-2401882 हजार के सापेक्ष मानक मद-14 मोटर गाडियों में प्राविधानित धनराशि रू0-2500 हजार को छोडकर अवशेष धनराशि रू0-2399382 हजार (रूपया दो सौ उन्तालिस करोड तिरान्बे लाख बयासी हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अध्किारी उत्तरदायी होंगे।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मित्तव्ययता संबंधी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीध्र खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

(5) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2016 तक
3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2016 तक
4-वर्ष 2016-17 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2017 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

(6) तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.्03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)

प्रमुख् सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-34/2016/1092(1)/62-2-2016,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

शासनादेश सं0-34/2016/1092/62-2-2016-2/3(08)/2016, दिनांक 13 अप्रैल,2016 का सलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत पारित लेखानुदान में अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **2702-लघु सिंचाई-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-लघु सिंचाई योजना** में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण:-

(हजार रूपये में)

कोड	मद	वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट प्राविधान	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
01	वेतन	964496	964496
03	मंहगाई भत्ता	1311715	1311715
04	यात्रा व्यय	15556	15556
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500	500
06	अन्य भत्ते	77911	77911
07	मानदेय	80	80
08	कार्यालय व्यय	1000	1000
09	विद्युत देय	3000	3000
10	जलकर/जल प्रभार	300	300
11	लेखन सामग्री और फार्मो का छपाई	720	720
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300	300
13	टेलीफोन पर व्यय	300	300
14	मोटर गाडियों का क्रय	2500	00
15	मोटर गाडियों का अुन0 और पैट्रोल आदि की खरीद	7084	7084
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	1000
17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2000	2000
29	अनुरक्षण	1000	1000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42	अन्य व्यय	100	100
44	प्रशिक्षण एवं यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	300	300
45	अवकाश यात्रा	400	400
47	कम्प्युटर अनुरक्षण/तत्संबंधित स्टेशनरी का क्रय	500	500
49	चिकित्सा व्यय	11000	11000
51	वर्दी व्यय	120	120
	योग:-	2401882	2399382

(रूपया दो सौ उन्तालिस करोड तिरान्बे लाख बयासी हजार मात्र)

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।